

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7954/2024

श्रीमती सुमन लता कपूर पत्नी श्री प्रताप कपूर, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी 51/7, संत नगर, रेलवे स्टेशन रोड के पास, करनाल, हरियाणा।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, बाड़मेर, राजस्थान।
- खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालोतरा, जिला बाड़मेर।
- प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जसोल (अब राजकीय माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत), बाड़मेर।

---- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री पी.आर. सिंह जोधा श्री एच.एस. भाटी
प्रतिवादीगणों के लिए	:	श्री दीपक चांडक, एएजी के सहायक श्री बी.एल. भाटी, एएजी के लिए

माननीय श्री न्यायाधीश फरजंद अली

आदेशआरक्षित तिथि : 18/10/2024घोषित तिथि : 04/11/2024रिपोर्ट योग्यशिकायत/प्रार्थना :-

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादीगण अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.07.2000 के आदेश (अनुलग्नक-7) के तहत उसकी सेवाओं की समाप्ति पर अपना दुख व्यक्त करते हुए दायर की गई है और उसने

उक्त समाप्ति आदेश को रद्द करने और अपास्त करने के साथ-साथ उसे सेवा में बहाल करने या वैकल्पिक रूप से, उसे आक्षेपित आदेश पारित होने तक सेवा में माना जाए और उसे सेवानिवृत्ति/समाप्ति के बाद के लाभ जारी करने के लिए इस न्यायालय से अनुग्रह की मांग की है।

मामले के तथ्य:-

2. विस्तृत विवरण के बिना, वर्तमान रिट याचिका के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2.1. याचिकाकर्ता को वर्ष 1984 में शिक्षक ग्रेड-III (पूर्व नामकरण सहायक शिक्षक था) के रूप में नियुक्त किया गया था और 03.01.1984 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पचपदरा, बाड़मेर में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्हें विभिन्न विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया तथा अंत में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जसोल, बाड़मेर में स्थानांतरित किया गया।

2.2. 06.07.1995 को उन्होंने अपने बेटे की जांच, निदान और चिकित्सा उपचार के लिए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ सात दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जो जन्मजात अस्थिजनन अपूर्णता से पीड़ित था, जिसके कारण उसे अपने जीवनकाल में लगभग 360 फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उनकी सास मस्तिष्क रक्तस्राव के बाद पक्षाघात के हमले से पीड़ित थीं, जिससे वे कोमा में चली गईं और साथ ही उनके ससुर भी गुर्दे की विफलता से पीड़ित थे और इस तरह वे गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में थे। चूंकि उनके बेटे और ससुराल वालों को निरंतर चिकित्सा परामर्श और विशेष देखभाल की आवश्यकता थी, इसलिए वह अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने में असमर्थ थीं और इस प्रकार, उन्होंने समय-समय पर और अंतिम रूप से 25.03.1999 को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रतिवादीगण अधिकारियों को अपनी छुट्टी अवधि के विस्तार के लिए कई आवेदन भेजे।

2.3. वर्ष 1995 से 1999 तक की अपनी अवकाश अवधि के दौरान, उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा: (i) वर्ष 1995 में उनकी सास का निधन हो गया, उसके बाद 23.03.1996 को उनके ससुर का निधन ऊपर वर्णित उनकी संबंधित बीमारियों के कारण हो गया; (ii) वर्ष 1997 में वह गर्भवती हो गईं और चूंकि उन्हें चिंता थी कि उनका दूसरा बच्चा

भी उनके पहले बच्चे की तरह ही बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, इसलिए उन्हें प्रसवपूर्व अवधि के दौरान चिकित्सकीय निगरानी में रहना पड़ा और पूर्णतः बिस्तर पर आराम करना पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप, उन्होंने 31.01.1998 को एक बेटे को जन्म दिया; और (iii) 26.01.1999 को, उनके बड़े बेटे की भी बहुत कम उम्र में ऊपर वर्णित उसकी स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई।

2.4. बहुत कम उम्र में उसके बड़े बेटे की अचानक और दुखद मृत्यु ने उसके मानसिक संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ दिया, जिससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा, जिसके कारण उसे चिकित्सा उपचार की आवश्यकता पड़ी और वह अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने में असमर्थ रही।

2.5. 06.04.1999 को, जब उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ, हालांकि उसने अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जसोल, बाड़मेर में रिपोर्ट की, लेकिन प्रत्यर्थी अधिकारियों ने उसे शामिल होने से मना कर दिया और उसी अनुरोध के साथ उसके बार-बार किए गए अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया।

2.6. अंततः प्रत्यर्थी अधिकारियों ने दिनांक 18.07.2000 के आदेश (अनुलग्नक-7) के तहत राजस्थान सेवा नियम 1 के नियम 86 के अनुसार 06.07.1995 से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के आधार पर उसकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया।

2.7. दिनांक 18.07.2000 के सेवा समाप्ति आदेश (अनुलग्नक-7) से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर 2 के समक्ष अपील संख्या 1213/2000 प्रस्तुत की। तथापि, न्यायाधिकरण ने दिनांक 30.01.2015 के आदेश (अनुलग्नक-आर/1) के तहत उक्त अपील को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि आक्षेपित आदेश दंड के रूप में पारित किया गया था, जिसे उसके समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

2.8. इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने पुनः एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादीगण प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे कम से कम उसे सेवानिवृत्ति/समाप्ति के बाद मिलने वाले लाभ प्रदान करें, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः यह रिट याचिका है।

याचिकाकर्ता के तर्क:-

3. रिट याचिका में दिए गए उपरोक्त तथ्यों के अनुक्रम में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क निम्नानुसार हैं:-

3.1. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादीगण अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा समय-समय पर उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर विचार किए बिना उसकी सेवाएं समाप्त करने में गलती की है। याचिकाकर्ता को जानबूझकर सेवा से अनुपस्थित मानने तथा उसके शामिल होने को स्वीकार करने से इनकार करने की प्रतिवादीगण अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी, अवैध तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

3.2. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण अधिकारी इस मामले के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करने में विफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता जानबूझकर अनुपस्थित नहीं थी; बल्कि, वह अपने बेटे, सास और ससुर के लिए नियमित चिकित्सा परामर्श और नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता के कारण छुट्टी पर थी और साथ ही वह अपने बड़े बेटे की बहुत कम उम्र में अचानक मृत्यु के कारण हुए मानसिक आघात से उत्पन्न अपनी बीमारी के कारण भी छुट्टी पर थी। इस प्रकार, यह सेवाओं से जानबूझकर विरत रहने का मामला नहीं है; बल्कि, यह उसके द्वारा ली गई लंबी छुट्टी का मामला है, जिसके लिए उसने समय-समय पर पंजीकृत डाक के माध्यम से छुट्टी के आवेदन भेजे थे।

3.3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आरएसआर के नियम 86 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि प्रतिवादीगण अधिकारियों ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध रूप से आक्षेपित समाप्ति आदेश पारित किया है, क्योंकि उक्त नियम अनुपस्थिति के कारण सेवा समाप्ति का प्रावधान नहीं करता है; इसके बजाय, यह प्रावधान है कि (i) कोई सरकारी कर्मचारी, जो बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, उसकी सेवा में रुकावट, पिछली सेवा जब्त होने और वेतन और भत्ते से वंचित होने का सामना करना पड़ सकता है; और (ii) अनुशासनात्मक प्राधिकारी राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है, जो जानबूझकर एक महीने

से अधिक की अवधि के लिए इयूटी से अनुपस्थित रहता है और यदि उसके खिलाफ इयूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने का आरोप साबित होता है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। हालांकि, प्रतिवादीगण अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना, विभागीय कार्यवाही शुरू किए बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन किया है। इस प्रकार, रिट याचिका सभी सेवानिवृत्ति/समाप्ति के बाद के लाभों के साथ अनुमति पाने की हकदार है।

3.4. इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादीगण अधिकारियों द्वारा पारित दिनांक 18.07.2000 (अनुलग्नक-7) के आक्षेपित समाप्ति आदेश को कृपया निरस्त किया जाए और अपास्त किया जाए, साथ ही याचिकाकर्ता को कृपया सेवा में बहाल किया जाए, या वैकल्पिक रूप से, उसे आक्षेपित आदेश पारित होने तक सेवा में माना जाए और उसे सेवानिवृत्ति/समाप्ति के बाद के लाभ जारी किए जाएं।

प्रतिवादियों के तर्क:-

4. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण अधिकारियों की ओर से उपस्थित एएजी के विद्वान सहायक ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं:-

4.1. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त देरी के लिए स्पष्टीकरण दिए बिना 24 वर्ष की देरी से तत्काल रिट याचिका दायर की गई है। इतना ही नहीं, आक्षेपित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता के पास सीसीए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है; तथापि, उक्त उपाय का लाभ उठाए बिना, याचिकाकर्ता ने सीधे इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है। इन परिस्थितियों में, रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, इसे खारिज किया जाना चाहिए।

4.2. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पहले अपील दायर करके विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 18.07.2000 (अनुलग्नक-7) के समाप्ति आदेश को चुनौती दी थी, जिसे दिनांक 30.01.2015 के आदेश (अनुलग्नक-आर/1) के माध्यम से खारिज कर दिया गया था; तथापि, सीसीए नियमों के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समाप्ति आदेश को चुनौती दिए बिना, याचिकाकर्ता ने सीधे इस

न्यायालय के समक्ष समाप्ति के आदेश को चुनौती दी है, विद्वान न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद से 9 वर्षों से अधिक की देरी को स्पष्ट करने में विफल रहा है। इस प्रकार, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4.3. यह कहा गया है कि सेवा समाप्ति का आदेश आरएसआर के नियम 86 के अनुसार पारित किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय तक सेवाओं से अनुपस्थित रहने के बाद अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए प्रतिवादीगण अधिकारियों से संपर्क करने में विफल रही और इस प्रकार, इसे सेवा छोड़ने का मामला मानते हुए, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और जिसके परिणामस्वरूप, रिक्त पद को वर्ष 2000 में ही भर दिया गया था।

4.4. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादीगण अधिकारियों द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से याचिकाकर्ता को कई नोटिस भेजने के बावजूद, वह अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए रिपोर्ट करने में विफल रही। इसके बाद, एक अंतिम नोटिस संख्या 4269 दिनांक 19.07.1996 को पंजीकृत डाक के माध्यम से याचिकाकर्ता को भेजा गया और 02.08.1996 को एक समाचार पत्र यानी 'राजस्थान पत्रिका' में प्रकाशित किया गया, जिसमें उसे अपने कर्तव्यों को शामिल करने के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया; हालांकि, वह रिपोर्ट नहीं की और 06.07.1995 से 18.07.2000 तक 5 साल और 12 दिनों की लंबी अवधि के लिए अनुपस्थित रही।

4.5. यह तर्क दिया जाता है कि रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज आधिकारिक/प्रमाणित दस्तावेज नहीं हैं और उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा मनगढ़ंत और गढ़ा गया है। इसलिए, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4.6. यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता 06.07.1995 से 18.07.2000 तक 5 साल से अधिक समय तक इयूटी से अनुपस्थित रही और आरएसआर के प्रावधानों के अनुसार, एक कर्मचारी जो 5 साल से अधिक समय तक इयूटी से अनुपस्थित रहता है, उसे स्वचालित रूप से सेवाओं से इस्तीफा दे दिया जाता है, इस प्रकार, समाप्ति आदेश संबंधित शासित नियमों के भीतर है।

4.7. उपरोक्त के अनुक्रम में, यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को कृपया खारिज कर दिया जाए।

अवलोकन:-

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय निम्नलिखित अवलोकन करता है:-

5.1. मुख्य विवाद पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व, यह न्यायालय प्रतिवादीगण प्राधिकारियों की ओर से रिट याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा करना चाहेगा, जिसमें इसे दाखिल करने में 24 वर्ष की देरी तथा इसमें मनगढ़ंत/अकल्पित दस्तावेज शामिल होने के आधार पर आपत्ति की गई है।

5.2. याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज शपथ-पत्र द्वारा समर्थित हैं तथा प्रतिवादीगण प्राधिकारियों द्वारा उनका खंडन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दस्तावेज न तो बनावटी हैं और न ही मनगढ़ंत। जबकि प्रतिवादीगण प्राधिकारियों ने अंतिम नोटिस जारी करने तथा समाचार-पत्र में प्रकाशन के संबंध में अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है, जिस पर वे पूर्ण रूप से भरोसा कर रहे हैं। इस प्रकार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संलग्न दस्तावेज बनावटी तथा मनगढ़ंत हैं।

5.3. जहां तक आक्षेपित बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर करने में 24 साल की देरी का सवाल है, उक्त आदेश को शुरू में वर्ष 2000 में विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी, हालांकि, उक्त अपील को वर्ष 2015 में खारिज कर दिया गया था, जो याचिकाकर्ता के इस न्यायालय के प्रति देरी से आए दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के समक्ष विद्वान न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती नहीं दी है; इसके बजाय, उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके आक्षेपित बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अनिवार्य रूप से उसे आक्षेपित बर्खास्तगी आदेश पारित होने तक सेवा में मानते हुए सेवानिवृत्ति/समाप्ति के बाद के लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि रिट याचिका समय बाधित है।

5.4. अब मुख्य विवाद पर विचार करते हैं: क्या याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति में विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

5.5. यद्यपि, प्रतिवादीगण प्राधिकारियों का दावा है कि आक्षेपित समाप्ति आदेश आरएसआर के नियम 86 के अनुसार जारी किया गया था, लेकिन उक्त नियम का गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।

5.6. त्वरित संदर्भ के लिए, आरएसआर का नियम 86 नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“नियम 86. छुट्टी की समाप्ति के बाद अनुपस्थिति:— (1) कोई सरकारी कर्मचारी जो छुट्टी के बिना या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत छुट्टी के लिए आवेदन किए जाने से पहले इयूटी से अनुपस्थित रहता है, उसे जानबूझकर इयूटी से अनुपस्थित माना जाएगा और ऐसी अनुपस्थिति सेवा में व्यवधान के रूप में मानी जाएगी जिसमें पिछली सेवा का नुकसान शामिल है, जब तक कि संतोषजनक कारण प्रस्तुत किए जाने पर, छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा देय छुट्टी प्रदान करके अनुपस्थिति को नियमित नहीं किया जाता है या उसे असाधारण छुट्टी में परिवर्तित नहीं किया जाता है।

(2) (क) कोई सरकारी कर्मचारी जो स्वीकृत छुट्टी की समाप्ति के बाद या छुट्टी के विस्तार से इनकार करने की सूचना के बाद इयूटी से अनुपस्थित रहता है, वह ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं है और ऐसी अनुपस्थिति की अवधि असाधारण छुट्टी में परिवर्तित की जाएगी जब तक कि संतोषजनक कारण प्रस्तुत किए जाने पर, छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा देय छुट्टी प्रदान करके अनुपस्थिति की अवधि को नियमित नहीं किया जाता है।

(ख) अवकाश की समाप्ति के पश्चात् जानबूझकर इयूटी से अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी हो सकता है।

(3) उपरोक्त उपनियम (1) एवं (2) में निहित प्रावधानों के बावजूद भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के अंतर्गत ऐसे सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ कर सकेगा जो जानबूझकर एक माह से अधिक अवधि तक इयूटी से अनुपस्थित रहता है तथा यदि उसके विरुद्ध जानबूझकर इयूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे सेवा से हटाया जा सकेगा।

(4) किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया माना जाएगा यदि वह-

(क) स्वीकृत अवकाश या अनुमति की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, या

(ख) दिए गए वर्षों से अधिक अवधि के लिए लगातार इयूटी से अनुपस्थित रहता है, भले ही अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि एक वर्ष से कम हो, या

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अवधि से अधिक समय तक बाह्य सेवा में बना रहता है:

बशर्ते कि इस उप-नियम के प्रावधानों को लागू करने से पहले सरकारी सेवा को ऐसी अनुपस्थिति या बाह्य सेवा में बने रहने के कारणों को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

राजस्थान सरकार का निर्णय

(i) इयूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने को मान्यता न दिए जाने का उपचार:

इयूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर, भले ही अवकाश स्वीकृत न किया गया हो, ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं होता। अवकाश

स्वीकृत न किए जाने की अवधि को सभी प्रयोजनों अर्थात् वेतन वृद्धि, अवकाश और पेंशन के लिए 'अस्वीकृति' माना जाएगा। बिना छुट्टी के ऐसी अनुपस्थिति, जहां यह अकेले हो तथा किसी प्राधिकृत छुट्टी के क्रम में न हो, पेंशन के प्रयोजन के लिए सेवा में व्यवधान मानी जाएगी तथा पूरी पिछली सेवा जब्त हो जाएगी।

(ii) छुट्टी की अवधि से अधिक अवधि तक रोक के लिए कार्रवाई:

कुछ क्षेत्रों में इस बात पर संदेह जताया गया कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाना चाहिए, जिनमें कोई अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक असाधारण अवकाश पर रहता है। इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त नियम किसी भी कदाचार के लिए उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत दंड लगाने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्ति को नहीं छीनता है। इसलिए, इन नियमों के तहत इयूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति या एक दिन के लिए भी छुट्टी से अधिक समय तक रहने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, इसे कदाचार मानते हुए, यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियां ऐसी कार्रवाई की मांग करती हैं।

5.7. आरएसआर के नियम 86(1) के तहत निहित प्रावधान के अनुसार, प्रतिवादीगण अधिकारियों के पास लंबे समय तक सेवाओं से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के कारण याचिकाकर्ता की पिछली सेवा को जब्त करने सहित सेवा में बाधा डालने की शक्ति है; हालांकि, उनके पास उपर्युक्त कारण पर याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं है।

5.8. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 'जब्त' कुछ कार्यों, जैसे जानबूझकर अनुपस्थिति के कारण पिछली सेवा या लाभों के नुकसान को संदर्भित करता है और जब सेवा जब्त की जाती है, तो इसका आम तौर पर मतलब होता है कि कर्मचारी संचित लाभ और सेवा क्रेडिट खो देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह अपनी नौकरी पूरी तरह से

खो दे। जबकि 'समाप्ति' में रोजगार की समाप्ति शामिल है और जब किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती है, तो इसका मतलब है कि नियोक्ता ने कर्मचारी के अनुबंध को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है, आमतौर पर कदाचार या नियमों का पालन करने में विफलता के कारण।

5.9. आरएसआर के नियम 86(2)(ए) के तहत निहित प्रावधान के अनुसार, याचिकाकर्ता स्वीकृत छुट्टी की समाप्ति के पश्चात या छुट्टी के विस्तार से इनकार करने की सूचना के पश्चात जानबूझकर अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं है; हालांकि, प्रतिवादीगण अधिकारियों ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं कि उन्होंने याचिकाकर्ता को पहले छुट्टी आवेदन की अस्वीकृति या छुट्टी आवेदन के विस्तार से इनकार करने के बारे में सूचित किया/संप्रेषित किया। भले ही यह एक पल के लिए मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता को संचार/सूचना प्रदान की गई थी, लेकिन आक्षेपित समाप्ति आदेश नियम के विपरीत है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता की जानबूझकर अनुपस्थित रहने के कारण उसके वेतन और भत्ते को रोकने का प्रावधान करता है, न कि उसकी सेवाओं की समाप्ति का।

5.10. आरएसआर के नियम 86(2)(बी) के तहत निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, छुट्टी की समाप्ति के पश्चात इयूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होता है; इसके विपरीत, प्रतिवादीगण अधिकारी ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई किए बिना याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दीं।

5.11. आरएसआर के नियम 86(3) के प्रावधान में कहा गया है कि प्रतिवादीगण अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकते थे। सीसीए नियमों के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए इयूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और यदि उसके खिलाफ इयूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने का आरोप साबित हो जाता, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता था; फिर भी, प्रतिवादीगण प्राधिकारी ने सीसीए नियमों के तहत कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की।

5.12. इसके अलावा, आरएसआर के नियम 86(4) में निहित प्रावधान के अनुसार, याचिकाकर्ता को स्वीकृत छुट्टी या अनुमति के बिना पांच साल से अधिक की लगातार अवधि के लिए इयूटी से अनुपस्थित रहने के बाद सेवाओं से इस्तीफा देने वाला माना जाएगा; हालांकि, प्रतिवादीगण अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति को इस्तीफा नहीं माना और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

5.13. यहाँ यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त नियम में यह प्रावधान है कि इस उप-नियम के प्रावधानों को लागू करने से पहले कर्मचारी को जानबूझकर अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिया जाएगा; हालाँकि, प्रतिवादीगण प्राधिकारी ने उक्त नियम की अनदेखी की है और बिना जांच किए याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया है।

5.14. मेरे विचार से, जैसा कि परिकल्पित है, बिना जांच किए याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने में प्रतिवादीगण प्राधिकारियों की कार्रवाई अपने आप में अवैध और मनमानी है, इसलिए, उक्त आदेश कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है।

5.15. यह न्यायालय मानता है कि आरएसआर के नियम 86(1) के तहत सेवाओं से हटाने के संबंध में कोई आदेश कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने और आरएसआर के नियम 86 के उप-नियम (3) के तहत परिकल्पित विभागीय जांच करने के बाद ही पारित किया जा सकता है। विभागीय कार्यवाही किए बिना सेवाओं से हटाने का कोई भी आदेश कानून के अधिदेश के विरुद्ध है। इस मामले में, सेवा से हटाने का ऐसा आदेश पारित किया गया है, इसलिए, यह न्यायालय सेवा से हटाने के उक्त आदेश को स्पष्ट रूप से अवैध आदेश घोषित करता है और, इस प्रकार, इसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है; बल्कि, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

5.16. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, यह देखा गया है कि मामला सेवाओं के जब्ती या समाप्ति के दायरे में नहीं आता है; बल्कि, यह सेवाओं के त्यागपत्र से संबंधित है और इस प्रकार प्रतिवादीगण अधिकारियों ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

5.17. जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ता का मामला सेवाओं के त्यागपत्र से संबंधित है और राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 25 त्यागपत्र पर सेवा के जब्त होने के बारे में बोलता है, जो इस प्रकार है:-

“नियम 25. त्यागपत्र पर सेवा का जब्त होना

(1) किसी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर पिछली सेवा का जब्त होना माना जाता है।

(2) त्यागपत्र से पिछली सेवा का जब्त होना नहीं माना जाएगा, यदि यह सरकार के अधीन, जहां सेवा अर्हता रखती है, किसी अन्य नियुक्ति, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, को उचित अनुमति के साथ लेने के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

(3) उप-नियम (2) के अंतर्गत आने वाले मामले में, दो नियुक्तियों के अलग-अलग स्टेशनों पर होने के कारण सेवा में व्यवधान, जो स्थानांतरण के नियमों के तहत स्वीकार्य कार्यभार ग्रहण करने के समय से अधिक नहीं है, सरकारी कर्मचारी को कार्यमुक्ति की तिथि पर किसी भी प्रकार की छुट्टी प्रदान करके या उस अवधि तक औपचारिक माफी देकर कवर किया जाएगा, जिस अवधि तक उसे देय छुट्टी द्वारा कवर नहीं किया जाता है।”

5.18. उपरोक्त नियमों के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का मामला पेंशन नियम 1996 के नियम 25 के अंतर्गत नहीं आता है; इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवाओं को जब्त करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी।

5.19. अब प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता का मामला पेंशन और सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद मिलने वाले किसी लाभ की पात्रता के दायरे में आता है।

5.20. पेंशन नियम 1996 के नियम 12 के अनुसार पेंशन के लिए आवश्यक अर्हकारी सेवा 18 वर्ष है; जबकि याचिकाकर्ता ने 03.01.1984 से 06.07.1995 तक 11 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन की नियमित सेवा की है और 06.07.1995 से 18.07.2000 (अनुलग्नक-7) के अपने सेवा समाप्ति आदेश पारित होने तक 5 वर्ष और 12 दिन

अनुपस्थित रही और इस प्रकार, उसकी कुल सेवा अवधि लगभग 16 वर्ष, 6 महीने और 15 दिन है, तथापि, वह नियमित पेंशन के अनुदान की हकदार नहीं है।

निष्कर्ष/राय:-

5.21. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हालांकि, प्रतिवादीगण अधिकारियों द्वारा कुछ भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद के लाभ जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, राज्य बीमा आदि का भुगतान न करने का शायद ही कोई औचित्य है, क्योंकि उसने 11 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन की सेवाएं अत्यंत समर्पण, उत्साह और बेदाग सेवाओं के साथ दी हैं और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी तरह के कदाचार के लिए कभी भी विभागीय कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा है, जिसका प्रतिवादीगण अधिकारियों द्वारा विरोध नहीं किया गया है। इसके अलावा, बहुत कम उम्र में अपने बेटे, सास और ससुर की अचानक और दुखद मौत के कारण याचिकाकर्ता के मानसिक संतुलन में गड़बड़ी के तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

5.22. सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद मिलने वाले लाभ जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, राज्य बीमा इत्यादि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के साथ की गई सेवाओं के लिए अर्जित आय हैं तथा उन्हें प्रतिवादीगण द्वारा नहीं छीना जा सकता। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद ऐसे लाभों को छीनना या रोकना, उसे जीवन के अधिकार से वंचित करने के समान है, क्योंकि ऐसे लाभ ही वह स्रोत हैं, जिनसे वह और उसका परिवार अपनी रोटी और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हैं।

5.23. सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद मिलने वाले लाभ जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, राज्य बीमा इत्यादि को जमा करने के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि सेवानिवृत्ति/सेवा से त्यागपत्र के बाद जब कोई कर्मचारी वृद्ध हो जाता है, तो उसे अपनी आजीविका या आवश्यकताओं के लिए किसी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े।

5.24. मामले के तथ्यों से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के साथ लगभग 11 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन तक काम किया है और अपने वेतन और राज्य नियोक्ता द्वारा सहायता प्राप्त अन्य अंशदानों से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, राज्य बीमा आदि तथा अन्य सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र लाभ उसके खाते में जमा किए गए हैं।

5.25. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को जारी करने के लिए मांगी गई वैकल्पिक राहत प्रदान करना उचित समझता है।

निर्णय:-

6. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका, स्थगन याचिका के साथ-साथ सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया जाता है:-

(क) याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्ति के बजाय त्यागपत्र माना जाएगा।

(ख) प्रतिवादीगण प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के बाद मिलने वाले लाभ जैसे कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, राज्य बीमा आदि प्रदान करें, ऐसा न करने पर, वह इस आदेश के पारित होने की तिथि से देय लाभों पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने की हकदार होगी।

7. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(फरजंद अली), न्यायाधीश

अभिषेक कुमार

क्रमांक 394

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़

1 संक्षिप्तता के लिए इसे आगे से 'आरएसआर' कहा जाएगा।

- 2 संक्षिप्तता के लिए इसे आगे 'ट्रिब्यूनल' कहा जाएगा।
- 3 संक्षिप्तता के लिए इसे आगे 'सीसीए नियम' कहा जाएगा।
- 4 संक्षिप्तता के लिए इसे आगे 'पेंशन नियम 1996' कहा जाएगा।